कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल (म.प्र.)

पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001

E-Mail dfotsbetul@mp.gov.in Fax & Phone : 07141-234266

क्रमांक / मा.चि. / 6028 बैतूल, दिनांक 12 / 11 / 2020

प्रति,

सहायक महाप्रबंधक (योजना)
कार्यालय दूरसंचार
जिला–प्रबंधक बैतूल

विषय :– बैतूल जिले में NOFN Project (Digital India) (Pattan Block) डालने हेतु 1.017 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बावत्। (**Proposal No. FP/MP/OFC/35877/2018**)

संदर्भ :–
1. म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक–एफ / 5 / 18 / 2002 / 10–3 भोपाल दिनांक 18.11.2004 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 14.12.2005 तथा 01.07.2009
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र. / एफ–11 / 2015 / 2637 दिनांक 28.10.2015
3. म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक–एफ–5–11 / 2005 / 10–3 भोपाल दिनांक 06.08.2016
4. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र. / एफ–5 / विविध / 2018 / 10–11 / 3020 दिनांक 03.10.2018
5. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र. / एफ–5 / विविध / 2018 / 10–11 / 3786 दिनांक 10.12.2018 तथा 4071 दिनांक 31.12.2018
6. मुख्य वनसंरक्षक, बैतूल वृत्त, बैतूल का पत्र क्र. / मा.चि. / 2020 / 4264 दिनांक 09.11.2020
7. आपका पत्र क्रमांक / W-1-1010/NOFN Ph-II/corr./Betul/2018-19/122 दिनांक 17.09.2018 एवं ऑनलाईन प्रस्ताव दिनांक 18.09.2018 एवं 18.01.2020
8. कार्यालयीन पत्र क्र. / मा.चि. / 3557 दिनांक 01.10.2018 तथा 845 दिनांक 28.02.2020
9. उपवनमंडलाधिकारी मुलताई (सा.) का पत्र क्र. / 294 दिनांक 18.01.2019 तथा 428 दिनांक 29.01.2019
10. परिक्षेत्र अधिकारी मुलताई (सा.) का पत्र क्र. / 139 दिनांक 17.01.2019
11. परिक्षेत्र अधिकारी आठनेर (सा.) का पत्र क्र. / 98 दिनांक 19.01.2019
12. परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सा.) का पत्र क्र. / 356 दिनांक 04.03.2020

– 0 –

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके ऑन–लाईन प्रस्ताव अनुसार वनमंडल अन्तर्गत आवेदित क्षेत्र के वन विभाग एवं आपके द्वारा अधिकृत अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा किये गये संयुक्त स्थल निरीक्षण उपरांत उपवनमंडलाधिकारी मुलताई (सा.) / परिक्षेत्र अधिकारी मुलताई / आठनेर / ताप्ती (सा.) के संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं संयुक्त स्थल निरीक्षण पंचनामा अनुसार मुलताई / आठनेर / ताप्ती वनपरिक्षेत्र अन्तर्गत प्रभावित आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की कुल लंबाई 8825 मीटर में मार्ग के किनारे–किनारे डाली जाने वाली भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन का वनकक्षवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	वनकक्ष क्रमांक / वनखण्ड का नाम	ओ.एफ.सी. लाईन की लम्बाई (मीटर में)	ओ.एफ.सी. लाईन की चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित वनक्षेत्र रकबा (हे.में.)	वन प्रभावित क्षेत्र के अक्षांश–देशांश		
						प्रारंभिक	मध्य	अंतिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आठनेर	आर.एफ.–610 55–कालापखान	550	0.5	0.0275	N-21°30'20" E-78°02'49"	N-21°30'13" E-78°02'45"	N-21°30'07" E-78°02'51"
		आर.एफ.–609 55–कालापखान	2450	0.5	0.1225	N-21°30'06" E-78°02'53"	N-21°29'52" E-78°03'27"	N-21°29'50" E-78°04'11"
2	मुलताई	पी.एफ.–937 सावरी 64–''अ''	1140	0.5	0.057	N-21°37'36" E-78°18'47"	N-21°37'22" E-78°18'59"	N-21°37'08" E-78°19'11"
		पी.एफ.–940 ईसापुर–65	3140	0.5	0.157	N-21°36'07" E-78°16'18"	N-21°35'38" E-78°16'18"	N-21°35'28" E-78°18'01"

391

Scanned with CamScanner

3	ताप्ती	पी.एफ.–1106 सेलगाद–204	650	0.5	0.0325	N-21°49'47.40"	N-21°49'42.40"	N-21°49'37.07"
						E-77°47'45.58"	E-77°47'38.26"	E-77°47'32.52"
		सेलगाद ख.न. 232	812	0.5	0.0406	N-21°49'37.07"	N-21°49'25.93"	N-21°49'14.67"
						E-77°47'32.52"	E-77°47'32.52"	E-77°47'32.92"
4		चिचढाना ख.न. 04	65	0.5	0.00325	N-21°49'10.03"	N-21°49'10.36"	N-21°49'10.62"
						E-77°47'23.60"	E-77°47'24.52"	E-77°47'25.58"
		सराड ख.न. 131	18	0.5	0.0009	N-21°49'08.39"		N-21°49'08.45"
						E-77°47'19.16"		E-77°47'19.55"
		योग :–	**8825**	**0.5**	**0.44125**			

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के संदर्भित पत्र दिनांक 03.10.2018 से प्राप्त निर्देशानुसार एवं मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल के संदर्भित पत्र दिनांक 08.10.2020 से प्राप्त अनुमोदन एवं उपवनमंडलाधिकारी मुलताई (सा.)/परिक्षेत्र अधिकारी मुलताई/आठनेर/ताप्ती (सा.) से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्तानुसार आवेदित आरक्षित वनक्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र 0.44125 है. में मार्ग के किनारे–किनारे "राईट ऑफ वे" के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 18.11.2004 एवं 01.07.2009 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए विषयांकित प्रकरण में उपरोक्तानुसार जी.पी.एस. रीडिंग के अंतर्गत भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाये जाने हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की **सैद्धांतिक सहमति** निम्न दर्शित शर्तों के अधीन जारी की जाती है:–

1. वनभूमि व्यपवर्तन की यह स्वीकृति केवल मार्ग के किनारे–किनारे "राईट ऑफ वे" तथा उपरोक्त दर्शित जी.पी.एस.रीडिंग के अंतर्गत आने वाली वनभूमि के लिए ही दी जा रही है (राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है)।
2. वनभूमि पर आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खन्ति का आकार 1.65 मीटर गहरा तथा 0.50 मीटर चौडाई से अधिक नहीं होगा। यदि 0.50 मीटर चौड़ाई एवं 1.65 मीटर गहराई से अधिक खुदाई पायी गई, तो नियमानुसार प्रचलित वन विधानों के अंतर्गत संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
3. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
4. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
5. बिछाई गई भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन के रखरखाव की अनुमति आवेदक संस्थान द्वारा मांग करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पृथक से दी जावेगी।
6. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ति के निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा।
7. समतलीकरण का कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन् नहीं किया जायेगा।
8. नाली खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुचाई जायेगी तथा खन्ति में आने वाले वृक्षों की जड़ो को नहीं काटा जायेगा और न ही किसी भी वृक्षो की कटाई छटाई की जावेगी।
9. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या भूमि को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंडल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
10. यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश, क्षेत्रीय वनसंरक्षक एवं अधोहस्ताक्षर (वनमंडलाधिकारी) द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है, तो यह शर्त संस्थान को मान्य होगी।
11. यह स्वीकृति "राईट ऑफ वे" के तहत केवल वन विभाग के आधिपत्य की वनभूमि के लिए जारी की जा रही है, यदि प्रकरण में राजस्व वनभूमि प्रभावित होती है तो आवेदक संस्थान इसके लिये जिम्मेदार होगा।
12. यदि आवेदक संस्थान द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी, तथा संस्थान के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. प्रकरण में 100 रू. की राशि ऑनलाईन कैम्पा खाते के Others मद में जमा करना सुनिश्चित करे।

यह स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से जारी की गई है। आवेदक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 से 13 तक के पालन से संबंधित वचनपत्र एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर कार्य सम्पादन हेतु औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जावेगी। जिसके उपरांत आवेदक संस्थान संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित कर मौके पर कार्य प्रारंभ कर सकेंगें।

(पी.डी. गेब्रियल)
मा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

Scanned with CamScanner

पृ.क्र. / मा.चि. /

बैतूल दिनांक / 11 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि यह सैद्धांतिक सहमति आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वन विभाग के आधिपत्य में आने वाली वनभूमि के लिए ही जारी की जा रही है। सैद्धांतिक सहमति में राजस्व विभाग के अधीन छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि तथा अन्य भूमियाँ सम्मिलित नहीं है। यदि आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व विभाग के छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि में खुदाई की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वनमंडल कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। ताकि वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही की जा सके।
4. उपवनमंडलाधिकारी मुलताई (सा.) एवं परिक्षेत्र अधिकारी मुलताई / आठनेर / ताप्ती (सा.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पूर्व आवेदक संस्थान को वन भूमि पर कोई कार्य न करने देवें।

सही/-

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

Scanned with CamScanner